In the Court of District and Sessions Judge, Laitpur.

Sessions Case/1010/2024

STATE OF U.P. Vs. Bijjo @ Brijlal & ors.

CHARGE

मैं, नरेन्द्र कुमार झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर आप अभियुक्तगण बिज्जू उर्फ बृजलाल अहिरवार पुत्र रखना, चुन्नी उर्फ चुनाई अहिरवार पुत्र रखना, बसोरी उर्फ जयराम अहिरवार पुत्र बिज्जू अहिरवार, सुखलाल पुत्र गुवुन्दी अहिरवार व मुलुवा पुत्र बाबा उर्फ भगुन्ता समस्त निवासीगण ग्राम कोरवास, थाना सौजना, जिला ललितपुर को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ:–

1. यह कि घटना की दिनाँक 25.10.2023 को समय 10 बजे रात्रि व स्थान आम रास्ता वह्द ग्राम कोरवास पर आप अभियुक्तगण द्वारा विधि विरुद्ध जमाव करके वादिनी मुकदमा के पति मुकेश की लाठी व डंडों से मारपीट की गयी तथा मारपीट में आयी चोटों के कारण वादिनी के पति मुकेश की दौरान इलाज मृत्यु हो गयी। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध कारित किया गया है। अतः आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 सपठित धारा 149 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण द्वारा विधि विरुद्ध जमाव करके वादिनी मुकदमा व उसके पति की मारपीट कर उन्हें साधारण प्रकृति की उपहति कारित की गयी। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 सपठित धारा 149 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण द्वारा विधि विरुद्ध जमाव करके बल्वा कारित किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4. यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा व उसके पति के साथ गाली गलौज करके साशय अपमानित किया गया, जिससे लोक शांति भंग होने की संभावना उत्पन्न हुई। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनॉक–07.03.2025

(नरेन्द्र कुमार झा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

एतद्द्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोपों के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–07.03.2025

(नरेन्द्र कुमार झा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

Digitally signed by NARENDRA KUMAR JHA
Date: 2025.03.07 16:17:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

In the Court of District and Sessions Judge, Laitpur.

Sessions Case/1010/2024

STATE OF U.P. Vs. Bijjo @ Brijlal & ors.

07.03.2025

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्तगण समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं। पत्रावली आज आरोप पर सुनवाई हेतु नियत है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) के आरोप पर तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार नहीं है तथा उन्हें उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी। जिसके जवाब में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादिनी व वादिनी के पति की लाठी व डंडों से मारपीट कर चोटें पहुँचायी गयी हैं, जिससे वादिनी के पति की दौरान इलाज मृत्यु हुई है। इसलिए अभियुक्तगण पर आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं केस डायरी पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 304 सपठित धारा 149, 323 सपठित धारा 149, 147, 504 भा.द.सं. के अन्तर्गत के आरोप अधिरोपित किये जाने हेतु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 304 सपठित धारा 149, 323 सपठित धारा 149, 147, 504 भा.द.सं. के आरोप पृथक पृष्ठ पर विरचित किये जाते हैं।

दिनॉक–07.03.2025

(नरेन्द्र कुमार झा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।